बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं0–34 /क्रय–03–06/2023 (पार्ट–iii)– पटना, दिनांक–

आदेश

निदेशक, क्रय, भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के क्रयादेश सं0–05 दिनांक 04.05.2023 के आलोक में आपूर्तिकर्ता हिमटेक सेल्स प्रा0 लि0, जमशेदपुर द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन विभिन्न प्रमंडलीय एवं केन्द्रीय गोदामो में 69,00,000 अदद नये खाली सीमेंट बोरों की आपूर्ति किया गया।

आपूर्तिकर्ता हिमटेक सेल्स प्रा0 लि0, जमशेदपुर द्वारा आपूरित नये खाली सीमेंट बोरों के नमूनों को गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा के केन्द्रीय गोदाम से क्षेत्रीय गुण नियंत्रण प्रमंडल द्वारा संग्रह कर गुणवत्ता जाँच विभागीय जाँच प्रयोगशाला, खगौल में कराया गया। जाँचोपरान्त गुणवत्ता जाँचफल विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया।

आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूरित नये खाली सीमेंट बोरा विशिष्टि के अनुरूप नहीं रहने के कारण निदेशालय द्वारा उन्हें अनेक बार न्यून विशिष्टि वाले बोरों को हटाकर विशिष्टि के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण बोरों की आपूर्ति करने हेतु निदेशित किया गया। विभाग द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन आपूर्तिकर्ता द्वारा नहीं किया गया।

बाद में आपूर्तिकर्ता के अनुरोध पर क्रयादेश में निहित प्रावधान के आलोक में नये खाली सीमेंट बोरों का गुणवत्ता जाँच दूसरी बार आपूर्तिकर्ता के उपस्थिति में विभागीय जाँच प्रयोगशाला, खगौल में कराने का विभाग द्वारा निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में आपूरित नये खाली सीमेंट बोरों के गुणवत्ता जाँच कराने हेतु अनेकों बार नमूनों के संग्रह की तिथि निर्धारित कर आपूर्तिकर्ता हिमटेक सेल्स प्रा0 लि0, जमशेदपुर को सूचित किया गया साथ ही निर्धारित तिथि पर उपस्थित रहने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके बावजूद आपूर्तिकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पुनः संग्रहित नमूनों का गुणवत्ता जाँच हेतु अधीक्षण अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण अंचल, खगौल द्वारा गुणवत्ता जाँच की तिथि निर्धारित कर जाँच के समय उपस्थित रहने हेतु आपूर्तिकर्ता को अनुरोध किया गया। अन्ततः गुणवत्ता जाँच की निर्धारित तिथि पर भी आपूर्तिकर्ता स्वंय/उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। तदोपरान्त निर्धारित तिथि पर संग्रहित नमूनों का गुणवत्ता जाँच विभागीय जाँच प्रयोगशाला, खगौल द्वारा किया गया। जाँचोपरान्त नये खाली सीमेंट बोरों का प्राप्त गुणवत्ता जाँचफल किसी भी consignee प्रमंडल में विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपूर्तिकर्ता को विभाग द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने, क्रयादेश के नियम एवं शर्तो के विपरीत न्यून विशिष्टि वाले गुणवत्ता रहित बोरों की आपूर्ति करने के कारण वर्ष 2023 में आपूरित नये खाली सीमेंट बोरों को अस्वीकृत कर इसे वापस ले जाने हेतु विभाग द्वारा निर्णय लिया गया।

आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रयादेश के नियम एवं शर्तो के विपरीत न्यून विशिष्टि वाले गुणवत्ता रहित बोरों की आपूर्ति करने, आपूरित न्यून विशिष्टि वाले बोरों को वापस ले जाने के विभागीय निदेश एवं अन्य विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं करने तथा कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के संबंध में आपूर्तिकर्ता से निदेशालय के पत्रांक 474 दिनांक 23.07.2024, पत्रांक 520 दिनांक 09.08.2024, पत्रांक 533 दिनांक 20.08.2024 एवं पत्रांक 576 दिनांक 03.09.2024, पत्रांक 601 दिनांक 19.09.2024 एवं पत्रांक 673 दिनांक 15.11.2024, पत्रांक 692 दिनांक 28.11.2024 , पत्रांक 07 दिनांक 03.01.2025 एवं पत्रांक 31 दिनांक 22.01.2025 .द्वारा पृच्छा की गयी।

उक्त के आलोक में आपूर्तिकर्ता द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 29.07.2024 , 26.08.2024 एव 01.02.2025 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं है एवं समीक्षा में यह भी पाया गया कि NIQ / क्रयादेश में वर्णित स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद भी आपूर्तिकर्ता द्वारा विशिष्टि के अनुरूप आपूर्ति नहीं की गयी।

बाढ़ जैसी आपदा से सुरक्षा हेतु किये जाने वाले कार्यो में गुणवत्ता से समझौता नहीं करने को देखते हुए एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर आपूर्तिकर्ता हिमटेक सेल्स प्रा0 लि0, जमशेदपुर के द्वारा वर्ष 2023 में क्रयादेश के नियम एवं शर्तो के विपरीत न्यून विशिष्टि वाले गुणवत्ता रहित नये खाली सीमेंट बोरों की आपूर्ति करने, आपूरित न्यून विशिष्टि वाले बोरों को वापस ले जाने के विभागीय निदेश तथा समय–समय पर विभाग द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने, विभाग के साथ असहयोगात्मक रवैया अपनाने तथा कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण आपूर्तिकर्ता हिमटेक सेल्स प्रा0 लि0, जमशेदपुर को अगले आदेश तक आपूर्ति से संबंधित कोटेशन/निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
निदेशक
क्रय, भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय
जल संसाधन विभाग, पटना।

03.06.2023 Part 3

ज्ञापांक–......................................./   पटना, पटना–......................................./

प्रतिलिपिः– हिमटेक सेल्स प्रा० लि०, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

निदेशक

ज्ञापांक–127/   पटना, पटना–07-04-2025/

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/बाढ़ एवं जल नि०/सिंचाई सृजन, ज०सं०वि०, पटना/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, यो० एवं मो०, अंचल पटना/अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो०, अंचल,–2,3,4 पटना को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/4/2025

निदेशक